

संशोधन

शक्कर विक्रय हेतु निविदा क्रमांक 408 दिनांक 28/08/2020 के निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा की शर्तें कंडिका क्रमांक 14 को निम्नानुसार पढ़ा जाये, शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी ।

14. निविदाकार को केन्द्र/राज्य शासन के नियमानुसार प्रचलित सभी कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा , यदि शासन द्वारा भविष्य में न्यूनतम शक्कर विक्रय मूल्य अथवा टेक्स में वृद्धि की जाती है तो दर एवं टेक्स की भवांतर राशि क्रेता द्वारा देय होगा तथा शक्कर की डिलवरी शक्कर कारखाना गोदाम से 'जो है जैसा है' की स्थिति में दी जायेगी।